आजीविका वार्ता

वर्ष 9, अंक 4 जनवरी-मार्च 2018 सीमित वितरण हेतु

प्रस्तुत अंक में...

- सम्पादकीय
- जी.डी.एस. की 25 वर्ष की विकास यात्रा का एक विहंगावलोकन 2
- किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 7
- गन्ने का अन्तःफसलीकरण 12
- खरीफ में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल 15
- जी.डी.एस. के कुछ अनुभव :
  - श्रावस्ती के गाँव में प्याज की खेती 18
  - आजीविका के लिये पशुपालन 20
  - स्वच्छता हेतु संवेदीकरण : एक अनुभव 23

सहयोग:
TATA TRUSTS

आजीविका संसाधन केन्द्र
ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज

सम्पादकीय

प्रिय सुधी पाठकगण,

जी.डी.एस. के रजत जयन्ती वर्ष में आपका हार्दिक अभिनन्दन!

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ग्रामीण डेवलपमेण्ट सर्विसेज संस्था ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। वर्ष 1993 से लेकर अभी तक विकास के क्षेत्र में इतनी लम्बी अवधि की यात्रा में सदैव प्रासंगिक बने रहना जी.डी.एस. जैसे किसी स्वैच्छिक मिशन के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ ही साथ एक गौरव का विषय है। विकास की अपने इस लम्बे सफर में संस्था ने अनेक उतार-चढ़ाव के मध्य अपने अभीष्ट की ओर कदम बढ़ाते हुये लक्षित समुदाय को केन्द्रित करके अनेक हस्तक्षेपों को लागू किया जिसके परिणाम हजारों गरीब परिवारों, वंचितों तथा महिलाओं के लिये काफी सुखद रहे हैं। जी.डी.एस. की अनेक समसामयिक पहलों में बहुत से विकास पुरोधा अपने व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग के माध्यम से भागीदार बने। भौगोलिक आच्छादन के साथ ही साथ कार्य विषयक विस्तार हुआ जिसमें समुदाय के अतिरिक्त विकास पणधारियों की सक्रिय सहभागिता तथा उनका सहयोग इस विकास यात्रा का साक्षी बना। अतः हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 25 वर्ष की इस अवधि के बारे में जानकारी देते हुये संस्था की इस खुशी में आपको भी बराबर साझीदार बनायें।

हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रकाशन के माध्यम से जन सामान्य तक कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचायें, क्योंकि कभी-कभी सही जानकारी के अभाव में पात्रता होते हुये भी लोग बहुत सी सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इस बार किसानों के लिये उपयोगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गयी है, जो उनके लिये लाभकारी सिद्ध होगी बशर्ते इस योजना के सही ढंग से क्रियान्वयन में सभी की सक्रिय भागीदारी हो। कृषि आधारित आजीविका के अन्तर्गत इस अंक के माध्यम से गन्ना की अन्तःफसली एवं अरहर की उन्नत खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करके तथा उसे अपनाकर मात्र कृषि उपज में ही नहीं अपितु इससे होने वाली आय में वृद्धि की जा सकती है। प्याज की खेती के बारे में पिछले अंक में विस्तार से वर्णन किया गया था। परन्तु इस फसल के माध्यम से गाँव व क्षेत्र स्तर पर किसानों की सोच एवं कृषि अभ्यासों में हुये सकारात्मक परिवर्तन की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। संस्था के अपने अनुभवों के आधार पर यहाँ हमने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सामुदायिक पहल से पशुपालन सम्बन्धी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह माडल अनुकरणीय है जिसे आवश्यकतानुसार अन्य जगहों पर भी आजमाया जा सकता है।

अस्तु, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आजीविका वार्ता के प्रस्तुत अंक में दी गयी जानकारियों को समझने का प्रयास करें तथा एक सहज पाठक के रूप में ही नहीं अपितु इन जानकारियों को अन्य बहुत से लोगों के साथ साझा करें जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है तथा आपके विचार से जिनकी पहुँच इन तक बहुत मुश्किल है। हम आशान्वित हैं कि अन्य अंकों की तरह आजीविका वार्ता का यह अंक भी आपके लिये उपयोगी होगा।

प्रस्तुत अंक के बारे में आपके बहुमूल्य विचारों की प्रतीक्षा में,

साभार,

संपादक मण्डल

जी.डी.एस. की 25 वर्ष की विकास यात्रा का एक विहंगावलोकन

विकास की सतत् प्रक्रिया में हम जितनी यात्रा पूरी कर चुके होते हैं, उससे अधिक पूरी करनी सदैव बाकी रहती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के चहुँमुखी विकास हेतु अनेकानेक सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास जारी रहे जिसके अन्तर्गत जहाँ एक तरफ सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपागमों के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास की दिशा में देश आगे बढ़ा, वहीं सामाजिक चेतना एवं कर्तव्यबोध के परिणामस्वरूप इस विकास के स्वैच्छिक एवं संगठित प्रयास के अनुप्रयोग के तौर पर गैर सरकारी संगठनों का अभ्युदय हुआ, जिनका उद्देश्य मुख्यतया सरकारी प्रयासों में अनुपूरक एवं सम्पूरक की भूमिका अदा करना रहा है। ग्रामीण डेवलेपमेण्ट सर्विसेज यानि जी.डी.एस. इसी विचारधारा की संस्थागत परिणति है, जिसकी औपचारिक शुरुआत आज से 25 वर्ष पूर्व 26 फरवरी, 1993 को लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविदों, व्यवसायियों एवं विकासकर्मियों के एक समर्पित समूह द्वारा की गयी। यह वह समय था जब हमारा देश आर्थिक उदारीकरण की राजनैतिक इच्छाशक्ति के प्रारम्भिक दौर से गुजर रहा था, जिसका अपेक्षित प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर अपेक्षानुसार कम रहा। समाज से उभरी हुई संस्था के तौर पर जी.डी.एस. ने सामाजिक मुद्दों के अतिरिक्त तात्कालिक वातावरण से प्रेरित होकर इन ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन हेतु प्रयास करने के कार्य को अपना अभीष्ट माना, परन्तु इन सभी प्रयासों के केन्द्र में समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े हुये तथा वंचित परिवारों को ही अपना लक्षित समूह स्थापित किया। इस प्रकार भौगोलिक

दृष्टिकोण से संस्था का विस्तार देश के उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ मौजूद थीं तथा इसके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से ऐसा करना सम्भव था।

क्षेत्रावतरण

प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्र में हस्त कौशल प्राप्त उन गरीब परिवारों तक पहुँचने का प्रयास किया गया जिनकी आर्थिक गतिविधियाँ कौशल आधारित थीं परन्तु समयोचित तकनीक एवं विपणन के अभाव में इन गतिविधियों का अस्तित्व संकट में था। इन गतिविधियों में कृषि आधारित कार्य सम्मिलित नहीं थे। अतः जी.डी.एस. ने इस आवश्यकता का आंकलन करते हुये उत्पादों को विपणन योग्य बनाने के लिये इसमें संलिप्त परिवारों को उचित तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का कार्य किया। व्यावसायिक सहयोग प्रदान करने के लिये अन्य संगठन को प्रोत्साहित किया गया, जिसके माध्यम से हथकरघा से जुड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों,

बुन्देलखण्ड में पाषाण शिल्पकारों तथा लखनऊ के आसपास मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाईयों को जोड़ा गया। आगे चलकर एक परियोजना विशेष के अन्तर्गत कौशल आधारित इस उपागम का विस्तार उड़ीसा के बरगढ़, आन्ध्र प्रदेश के नालगोण्डा तथा राजस्थान राज्य के अजमेर जिलों में किया गया, परन्तु परियोजना समाप्ति के बाद आत्मनिर्भरता की स्थिति में उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों में संस्था ने अपना योगदान करना बन्द कर दिया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सन्त कबीर नगर, गोरखपुर तथा बस्ती जनपदों में हथकरघा उद्योग के कमजोर होने से बुनकर परिवारों की संकटग्रस्त आजीविका की परिस्थितियों में सुधार के मद्देनजर उनको संगठित करके सूक्ष्मवित्त पोषण का प्रयास किया गया। सामाजिक संस्था की अपनी मूल प्रवृत्ति के प्रभाव में समुदाय के साथ वित्तीय लेनदेन के इस कार्य को रोककर समुदाय को समूहों में संगठित करके उन्हें अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये आत्मनिर्णय हेतु सक्षम बनाने का कार्य जारी रहा जिससे महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया बलवती हुई। परिणामस्वरूप, 1400 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों, 15 से अधिक महिला संघों की स्थापना हुयी। इन समूहों के साथ निरन्तर तादात्म्य स्थापित रखते हुए इनकी क्षमतावर्धन का भरपूर प्रयास किया गया। यही कारण है कि वर्ष 2010 के बाद बिना किसी प्रकार की प्रत्यक्ष बाह्य सहायता के ये सामुदायिक संगठन स्वयं संचालित हो रहे हैं जो इस उपागम की महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय उपलब्धि है। एक सीखने वाली संस्था के तौर पर जी.डी.एस. के लिये महिला सशक्तीकरण की प्रयोगशाला ही नही अपितु इसके साथ एक प्रतिमान के रूप में इसे देखा जा सकता है, जिससे प्राप्त अनुभवों का प्रयोग संस्था ने दूसरी जगहों पर अपने कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक किया।

नवशताब्दी में प्रवेश एवं प्रथम दशक

नेपाल से लगा हुआ प्रदेश एवं देश का सीमावर्ती जनपद महराजगंज में स्थित धानी विकास खण्ड बाढ़ प्रणव क्षेत्र है जिसे जी.डी.एस. ने वर्ष 2001 में अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। बाढ़ की विभीषिका के प्रभाव में कमी लाकर प्रभावित जनसंख्या को सहायता पहुँचाना क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता थी। अतः संस्था ने समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य को अपनी एक कार्यनीति के तौर पर पहली बार लागू किया। स्थानीय लोगों को शामिल करते हुये ग्राम आपदा प्रबन्धन समितियाँ बनायी गयीं जिन्हें अपने ग्राम की आपदा प्रबन्धन योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने तथा सम्बन्धित बाह्य श्रोतों से आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु समुचित ढंग से प्रशिक्षित किया गया। बाढ़ के मौसम यानि खरीफ में धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो ज्यादा प्रभावित होती है। इससे निपटने के लिये नरेन्द्र-1, स्वर्णा सब-1 जैसी अल्पावधि एवं दाबधारी धान की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार बाढ़ पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाद की सावधानियों को अपनाने तथा त्वरित कार्यवाही से आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण मदद मिली तथा जनपद के 9000 से भी अधिक परिवारों को इसका लाभ मिला। इन अनुभवों से प्रेरित होकर संस्था ने भविष्य में अनेक परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से इस कार्यनीति को आवश्यक सुधारों के साथ पड़ोसी जिलों के अतिरिक्त बिहार राज्य के सीतामढ़ी एवं तत्पश्चात्, वर्ष 2013-14 से गण्डक एवं नारायणी नदी क्षेत्र में आने वाले नेपाल से लगे हुये पश्चिमी चम्पारण जिले के चयनित विकास खण्डों में सफल प्रयोग किया। इन आवश्यक सुधारों को फसलों के लिये कृषि सन्दर्भ आधारित पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, त्वरित चेतावनी तन्त्र इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है।

बाढ़ की स्थिति में कृषि आधारित आजीविका को सुरक्षित करने के क्रम में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि इसे सुदृढ़ करना जरूरी है क्योंकि आज भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बहुतायत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जी.डी.एस. ने इस दिशा में वर्ष 2007 से अपनी कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र संकेन्द्रित एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत कर दी जो संस्था द्वारा आजीविका संवर्धन कार्यक्रम की एकमात्र मुख्य घटक बन गयी। प्रारम्भ में इसका उद्देश्य बाढ़ के समय कृषि उपज को प्राप्त करने के विकल्पों की तलाश तक सीमित था परन्तु आगे चलकर इसने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कृषि प्रसार के व्यापक कार्यक्रम का रूप ले लिया जिसमें वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के लिये संस्था ने देश में सक्रिय विभिन्न निधीयन संस्थायें, कृषि क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों तथा अन्य विकास पणधारियों को सम्मिलित किया। संस्था के लिये यह पहला अवसर था जब कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्य करने के लिये अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाकर उ.प्र. तथा बिहार राज्य के चयनित क्षेत्रों में परियोजनायें चलायी गयीं। बुन्देलखण्ड में बकरी पालन आधारित आजीविका संवर्धन परियोजना इसका एक सशक्त उदाहरण है। इसी समय परियोजना क्षेत्रों में किसानों के सामूहिक चिंतन एवं अमल पर जोर देते हुये किसान समूह, बकरी पालक समूह जैसे सामुदायिक समूहों के गठन का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सघन तरीके से नेटवर्क के माध्यम से कार्य करने का यह आरम्भिक दौर था।

दूसरा दशक - बढ़ते आयाम

प्रथम दशक के अन्त तक जी.डी.एस. की पहुँच लगभग 12000 परिवारों तक हो चुकी थी तथा इस दौरान प्राप्त अनुभवों से भविष्य की ओर बढ़ने के तौर-तरीकों में काफी स्पष्टता हो गयी थी। इसी आधार पर संस्था के मिशन, विजन एवं उपागमों को पुनर्परिभाषित किया गया यद्यपि नोविब जैसी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन एजेन्सी में हुये नीतिगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप जी.डी.एस. के वित्तीय संसाधन की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गयी जिससे विशेष रूप से संस्थागत विकास तथा महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया पर तात्क्षणिक प्रभाव पड़ा।

सदी के दूसरे दशक में संस्था द्वारा अपने मिशन एवं विजन के अनुरूप गरीबों, वंचितों तथा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण विषयक हस्तक्षेपों को अपनाकर नीतिगत विस्तार के साथ ही लक्षित लाभार्थियों में वृद्धि की गयी। पहले से चले आ रहे कृषि प्रसार के कार्यों को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर अधिक उपयोगी बनाने पर केन्द्रित किया गया। जलवायु विविधतायुक्त भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत होने के कारण कृषि परिस्थितियों के अनुकूल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य था। जिसके क्रियान्वयन में किसानों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों का प्रयोग, मृदा व बीजोपचार, जीरोटिल, सीड ड्रिल, पैडी ट्रान्सप्लाण्टर जैसे अनेक कृषि यन्त्रों का प्रयोग, लाइन में बुवाई, रेज्ड बेड इत्यादि उन्नतशील वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के अपनाने पर जोर दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में किसानों को फसल की अधिक पैदावार दिलाना था। तमाम जोरदार कोशिशों तथा सामुदायिक सहभागिता का ही परिणाम था कि इन क्षेत्रों में स्वयं तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर नेटवर्क के माध्यम से भी कृषि तकनीकी के प्रयोग को 20000 से भी अधिक किसान परिवार के खेतों तक पहुँचाया जा सका है, तथा इसके बाद भी जी.डी.एस. द्वारा यह प्रयास निरन्तर जारी है। कृषि उपज को बढ़ाने तक ही सीमित न रहकर बल्कि किसानों को उनकी

कृषि आय में वृद्धि के लिये अधिक मूल्य वाली फसलें पैदा करने, उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखने एवं उचित विपणन के लिये प्रेरित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह सब कुछ जी.डी.एस. द्वारा बाह्य श्रोतों विशेषतया टाटा ट्रस्ट्स, आई.टी.सी. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से सहायता प्राप्त कृषि आधारित विभिन्न परियोजनाओं के बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के चयनित क्षेत्रों में क्रियान्वित करने से सम्भव हो सका जिसका हजारों किसान परिवारों को लाभ मिला।

वर्ष 2012 से जल, सफाई एवं स्वच्छता (Water, Sanitation & Hygiene - WASH) विषयक परियोजनाओं का संचालन आक्सफैम इण्डिया, वाटरएड इण्डिया इत्यादि संस्थाओं के सहयोग से पूर्वी उ.प्र. के सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा बस्ती जिलों में किया गया, जिनमें शुद्ध पेयजल हेतु हैण्डपम्पों के अतिरिक्त स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शौचालयों के निर्माण हेतु समुदाय को प्रेरित किया गया। केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विशेष पहल के कारण इस मुहिम को बहुत बल मिला जिससे कार्यक्षेत्र के लगभग 70 ग्रामों को सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ/निर्मल भारत अभियान जैसे सरकारी कार्यक्रमों के समन्वयन से इस प्रयास को बहुत संख्यात्मक एवं गुणात्मक संबल मिला। सरकारी विभागों से तालमेल करके जी.डी.एस. द्वारा कार्यक्षेत्र के चयनित गाँवों के विद्यालयों में भी जल, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुये शौचालय निर्माण, हैण्ड पम्प तथा किशोरी बालिकाओं हेतु मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर डालने का कार्य किया गया। समुदाय प्रेरित सम्पूर्ण स्वच्छता (CLTS) एक ऐसा उपागम सिद्ध हुआ, जिसके माध्यम से संस्था ने केवल शौचालय निर्माण ही नही अपितु उसके उपयोग हेतु लाभार्थी परिवारों को प्रेरित किया।

जी.डी.एस. के कार्यक्रमों में पोषण सुरक्षा का एक नया आयाम वर्ष 2016 से जुड़ गया। टाटा कार्नवेल इनिसिएटिव के अन्तर्गत टाटा ट्रस्ट्स सहित कुछ महत्वपूर्ण संघटकों द्वारा 'टेक्निकल असिस्टेंस एण्ड रिसर्च फॉर इण्डियन न्यूट्रीशन एण्ड एग्रीकल्चर' (TARINA) कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत क्षेत्र में इसे लागू करने के लिये टाटा ट्रस्ट्स ने जी.डी.एस. को अपना साझीदार बनाया। इस परियोजना को पूर्वी उ.प्र. के महराजगंज जिले के चयनित किसान परिवार के सदस्यों के पोषण स्तर में उन्हें अपने कृषि उत्पादों के उपभोग के माध्यम से सुधार लाने के लिये चलाया गया जिसके अन्तर्गत दो वर्ष में 30 गाँवों के लगभग 2500 परिवारों को लाभान्वित किया गया। अधिक पौष्टिकता आधारित फसलों के विविधीकरण, पशुपालन विकास, पोषण बागवानी इत्यादि हस्तक्षेपों के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुँचने का प्रयास किया गया। जिंक आरक्षित गेहूँ तथा सुनहरी शकरकंद के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देना इसका अच्छा उदाहरण है।

जी.डी.एस. के विकास सहयात्री

इस विकास यात्रा में जी.डी.एस. के अनवरत सहयात्री के रूप समुदाय की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। संस्था के प्रति अपना पूर्ण विश्वास, सतत् सहयोग, आपसी सम्बन्ध, आत्मीयता तथा सामूहिक/संगठित पहल के माध्यम से समुदाय ने सदैव इसे आगे बढ़ने में नैतिक बल प्रदान किया है। कार्यक्षेत्र से हटने के बावजूद वहाँ के समुदाय में विकास की भावी सोच, वह भी विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में, साथ ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप उनके द्वारा की जाने पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास एवं शसक्तीकरण की यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। दूसरी तरफ संस्था ने भी समुदाय को किसी परियोजना विशेष के लक्ष्य के रूप में सीमित न

करके बल्कि उसे अपने मिशन के एक अभिन्न संवाहक के व्यापक स्वरूप में अपनाया तथा यह वहाँ के निर्धन, वंचित तथा विकास के हाशिये पर रहने वाले लोगों के बारे में सदैव चिन्तनशील रहती है।

तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में जी.डी.एस. शौभाग्यशाली है कि इसे ऑक्सफैम नोविब नीदरलैण्ड, टाटा ट्रस्ट्स मुम्बई, एस.डी.सी. नई दिल्ली, ऑक्सफैम इण्डिया, टाटा कॉरनेल इन्स्टीट्यूट फॉर न्यूट्रीशन एण्ड एग्रीकल्चर यू.एस.ए., डी.एफ.आइ.डी.-पैक्स प्रोग्राम, अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन नई दिल्ली, सी.आर.एस. नई दिल्ली, लूथरान वर्ल्ड रिलीफ कोलकाता, आइ.टी.सी. कोलकाता, युनीसेफ, इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, आस्क गुरुग्राम जैसी लब्धप्रतिष्ठ विकास संस्थाओं तथा स्थानीय सरकारों के साथ भागीदारी एवं उनका भरपूर सहयोग मिला। इससे सामुदायिक विकास तथा सशक्तीकरण को गतिमान बनाने के साथ ही संस्थागत विकास को सुदृढ़ करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम क्रियान्वयन के भागीदार के रूप में जी.डी.एस. नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न आजीविका संवर्धन आधारित हस्तक्षेपों को लागू करने में पी.डी.टी. बहराइच, ए.एस.एस. बहराइच, एस.जी.एस.एस. श्रावस्ती, दिशा बस्ती, पी.आर.डी.एफ. गोरखपुर, वाइ.सी.के. एवं उत्थान देवरिया, जन विकास-जन निर्माण केन्द्र-जी.पी.एस.व्ही.एस. बिहार, के.एस.एस., दर्शना तथा अन्य संस्थाओं का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जी.डी.एस. का जुड़ाव इनाफी इण्डिया/एशिया, साधन नई दिल्ली, पीपल्स बजट इनिसिएटिव नई दिल्ली जैसे प्रमुख संस्थागत नेटवर्कों से है जिनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की पैरवी करने का एक समुचित मंच प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 25 वर्षों की इस चढ़ाव उतार वाली विकास यात्रा को पूरी करते हुये जी.डी.एस. संस्था स्वैच्छिक जगत में अपने को स्थापित करने में सफल रही। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह रहा कि विकास के विभिन्न आयामों के साथ जोड़कर 90 हजार से अधिक परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का सुअवसर संस्था को मिला और यही इसका अभीष्ट है जो इसे भविष्य में सामुदायिक विकास के परिप्रेक्ष्य में और अधिक प्रासंगिक बनाने तथा अपने मिशन तक पहुँचने में निरन्तर साथ देता रहेगा।

किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारतवर्ष की एक बड़ी जनसंख्या की आजीविका कृषि आधारित है जिससे देश की लगभग 60 प्रतिशत श्रमशक्ति को रोजगार मिलता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसानों को मुख्य उत्पाद प्राप्त करने के लिये अनके मानवीय तथा प्राकृतिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी यह जोखिम इतना अधिक होता है कि प्रभावित किसान परिवारों की स्थिति आजीविका के संकटग्रस्त होने के कारण बहुत दयनीय हो जाती है। उनके पास परिवार भरण पोषण के साथ ही अगली फसल पैदा करने के लिये लागत जुटाने की बड़ी चुनौती आ जाती है। उत्पादन जोखिम के कारण ही किसानों; विशेषकर छोटे किसानों द्वारा कृषि नवाचारों को अपनाने में हिचकिचाहट होती है क्योंकि इन नवाचारों के परिणाम के प्रति वे आश्वस्त नही होते और उनमें जोखिम धारण करने की क्षमता भी कम या नही होती है। इन्ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संकल्पना विकसित करके इसे केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।

इस योजना का **मुख्य उद्देश्य** अनपेक्षित घटनाओं के कारण फसल की क्षति/हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि आय को सुदृढ़ करना तथा उन्हें कृषि नवाचारों एवं अभ्यासों के अपनाने के लिये प्रेरित करना है। इसके माध्यम से ऐसे कृषि ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा जिससे उत्पादन जोखिम से संरक्षा होने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, तीव्र विकास एवं प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

लाभार्थी पात्रता

फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड खाते से अधिसूचित फसलों के लिये ऋण प्राप्तकर्ता किसान के लिये यह योजना अनिवार्य है। तथापि, अन्य गैर ऋणी किसानों के लिये यह स्वैच्छिक होगी। इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगााने वाले बटाईदारों एवं काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, किसानों का अधिसूचित/बीमाकृत फसलों के लिये बीमा हित होना चाहिये।

बीमा आच्छादन हेतु अधिसूचित फसलें

- खाद्यान्न फसलें मोटे अनाज तथा दलहनी फसलें
- तिलहनी फसलें
- वार्षिक वाणिज्यिक/औद्यानिक यानि बागवानी वाली फसलें

जोखिम - आच्छादन एवं अपवर्जन

- कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम की दशा में फसल की बुवाई/रोपण न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।
- खड़ी फसल के मामले में गैर बाधित जोखिमों जैसे; सूखा, बाढ़, कृमि व रोग, प्राकृतिक दुर्घटनाओं,

आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, आँधी, भँवर तथा बवंडर के कारण हुये फसल के नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत् जोखिम बीमा दिया जाता है।

- जिन फसलों को कटाई के बाद सूखने के लिये अधिकतम दो सप्ताह के लिये खेत में छोड़ दिया जाता है, सूखने के समय चक्रवातीय वर्षा या गैर मौसमी वर्षा के कारण होने वाले नुकसान के लिये बीमा आच्छादन किया जाता है।

युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियाँ, दुर्भावना के कारण होने वाली क्षति एवं अन्य निवारणीय जोखिमों को इस बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नही किया गया है।

फसल बीमा पोर्टल

सूचना के उचित प्रसार एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा www.agri-insurance.gov.in बीमा पोर्टल बनाया गया है। अधिसूचित क्षेत्र, फसल, बीमाकृत राशि, सरकारी सहायता, किसानों द्वारा भुगतान की गयी बीमा किश्त साथ ही सम्बन्धित बीमा कम्पनियों की आधारभूत जानकारियों को संकलित करके पोर्टल की वेबसाइट पर रखा गया है ताकि बीमा हितधारक इण्टरनेट व एस.एम.एस. के जरिये जानकारी प्राप्त कर सकें। वास्तविक सूचना तथा निगरानी प्रक्रिया पाने एवं पारदर्शिता के साथ ही बेहतर संचालन व समन्वयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक ही प्रौद्योगिकी मंच पर सभी पणधारियों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। बीमा धारकों को अंकीकृत रूप में सूचना उपलब्ध कराने के लिये सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की पोर्टल में प्रविष्टि की जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी। इन प्रविष्टियों में किसी तरह की त्रुटि, चूक व गलती के लिये ये ही जिम्मेदार होंगी।

बीमित राशि/आच्छादन सीमा

वैयत्तिक किसान के लिये बीमाकृत राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्तमान के समकक्ष होगी तथा इसे राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा पहले से ही घोषित करते हुये अधिसूचित किया जायेगा। वैयत्तिक किसान के लिये बीमाकृत राशि; प्रति हेक्टेयर वित्तमान एवं बीमा के लिये किसान द्वारा प्रस्तावित फसल क्षेत्र के गुणनफल के बराबर है। कृषि क्षेत्र की गणना हमेशा हेक्टेयर में की जायेगी। सिंचित एवं गैर सिंचित क्षेत्रों के लिये बीमाकृत राशि भिन्न-भिन्न होगी।

बीमा किश्त की दरें तथा अनुदान

किसान द्वारा देय बीमा प्रभार की दर नीचे दी गयी तालिका में दर्शायी गयी है :

कृषि मौसम	फसल	अधिकतम बीमा प्रभार
खरीफ	सभी खाद्यान्न, दलहनी तथा तिलहनी फसलें	बीमित राशि का 2% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।
रबी	सभी खाद्यान्न, दलहनी तथा तिलहनी फसलें	बीमित राशि का 1.5% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।
खरीफ एवं रबी	वार्षिक वाणिज्यिक/ औद्यानिक यानि बागवानी वाली फसलें	बीमित राशि का 5% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।

किसानों द्वारा देय बीमा किश्त दर तथा बीमांकिक किश्त दर के अन्तर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर माना जायेगा जिसका भुगतान केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर किया जायेगा। फिर भी किसी अतिरिक्त अनुदान देने के लिये केन्द्र व राज्य सरकारें मुक्त हैं जिसका वहन पूर्णतया उनके द्वारा

स्वयं किया जायेगा। परन्तु बीमा किश्त में अनुदान केवल बीमित राशि की सीमा तक ही दी जायेगी। निजी सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों को सरकारी बीमा अनुदान राशि का भुगतान निर्देशों/आदेशों के अनुसार कृषि बीमा कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा जिसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है।

सामयिक अनुशासन

ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिये अन्तिम तिथि एक समान होगी जिसकी राज्यवार सूचना अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रमुख फसलों के लिये फसल कैलेण्डर पर आधारित होगी। फसल कैलेण्डर की नवीनतम जानकारी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf पर उपलब्ध है। सामयिक अनुशासन सम्बन्धी विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	क्रिया-कलाप	खरीफ	रबी
1	भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुदेश जारी करना।	फरवरी	अगस्त
2	फसलों के बीमा से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिये राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन।	मार्च	सितम्बर
3	राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अधिसूचना जारी करना।	मार्च	सितम्बर
4	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचनाओं की प्रविष्टि	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर	
5	अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के लिये ऋण अवधि	अप्रैल से जुलाई	अक्टूबर से दिसम्बर
6	किसानों से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/बैंक खाते से बीमा किश्त की कटौती	31 जुलाई	31 दिसम्बर
7	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के मामले में जिला सहकारी बैक, बैंक शाखाओं, स्वैच्छिक एवं अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादित ऋणी की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों के बीमा कम्पनियों को प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	अन्तिम तारीख के बाद ऋणी किसानों के लिये 15 दिनों के अन्दर तथा गैर ऋणी किसानों के लिये 7 दिनों के अन्दर	
8	नमित बीमा एजेण्टों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किये गये किसानों के घोषणा पत्र बीमा कम्पनियों को प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	घोषणा/बीमा किश्त प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर	
9	नोडल बैंकों द्वारा बीमा आच्छादन प्राप्त किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि	सम्बन्धित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर	
10	वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/प्रा0कृ0स0 समितियों /मध्यस्थों द्वारा वैयत्तिक बीमाकृत किसानों के ब्योरों से सम्बन्धित साफ्ट कापी अपलोड करना	किसानों से बीमा किश्त प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 15 दिनों के भीतर	
11	फसल कटाई के बाद उपज सम्बन्धी आंकड़ों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	फसल कटने से एक महीने के अन्दर	
12	उपज डाटा पर आधारित अंतिम दावों का संसाधन, अनुमोदन एवं भुगतान	उपज सम्बन्धी आंकड़ों को प्राप्त करने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर	

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि पात्र बीमाकृत किसानों को उनके दावों का भुगतान यथाशीघ्र हो जाय। योजनान्तर्गत बाधित बुआई के कारण होने वाले दावों और बीमाकृत फसल में बदलाव करने सम्बन्धी प्राविधान किये गये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्दर किसानों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कदम उठाया जायेगा। मौसमी (सामयिक) अन्तिम तिथियों को किसी भी हालत में आगे बढ़ाने के लिये न तो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग न ही कोई अन्य प्राधिकृत होंगे। आवश्यकता पड़ने पर राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार कार्यदायी संस्था की सहायता से ऐसा कर सकती है। परन्तु इन मामलों में केन्द्रीय प्रीमियम सब्सिडी नही दी जायेगी।

ऋण लेने वाले किसानों के लिये अनिवार्य बीमा आच्छादन

जब कभी सम्बन्धित बैंक अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये ऋण स्वीकृत करते हैं तो उस समय वित्तमान तथा वैयत्तिक अधिसूचित फसलों के क्षेत्र की सीमा तक ही फसल ऋण राशि पर आवधिकता अनुशासन के अनुसार अनिवार्य बीमा आच्छादन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। किसान क्रेडिट के द्वारा दिये गये फसल ऋणों को अनिवार्य बीमा आच्छादन के अन्तर्गत रखा जाता है। बैंक शाखा किसान द्वारा यथाघोषित बुवाई किये गये वास्तविक क्षेत्र के आधार अथवा ऋण आवेदन में उल्लिखित क्षेत्र के दृष्टिगत बीमा योग्य फसलों के लिये आच्छादन उपलब्ध करायेंगे। बैंक शाखायें अपने क्षेत्राधिकार के तहत बीमा प्रस्तावों/विवरणों को समेकित करके उन्हें उस फसल विशेष एवं मौसम के लिये राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथियों के अनुसार ब्योरों/आरटीजीएस के संप्रेषण सहित उसी बीमा कम्पनी को अग्रेषित करेंगे।

गैर ऋणी किसान हेतु चैनेल भागीदारों के माध्यम से ऐच्छिक बीमा आच्छादन

फसल बीमा कराने के इच्छुक किसान अपना प्रस्ताव प्रपत्र भरकर नजदीकी बैंक शाखा, प्राधिकृत चैनेल भागीदार या बीमा कम्पनियों के मध्यस्थों के पास जमा कर सकते हैं। चैनेल भागीदार किसी बैंक के होने के मामले में किसान द्वारा अपेक्षित बीमा किश्त राशि के साथ वाणिज्यिक बैंक की शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पैक्स में विधिवत् भरे गये प्रस्ताव प्रपत्र को जमा करेंगे। ऐसे मामलों में बैंक खातों का परिचालन अनिवार्य है। बैंकों द्वारा आवश्यक सत्यापन एवं प्रक्रिया के उपरान्त समस्त ब्योरा सम्बन्धित बीमा में जमा किया जायेगा। गैर ऋणी किसान भी इस प्रयोजनार्थ बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी विनियत एजेन्सी, अन्य प्राधिकृत चैनेल भागीदार या बीमा मध्यस्थ के द्वारा सीधे सेवा ले सकेंगे। गैर ऋणी किसान वैयक्तिक रूप से अथवा अपेक्षित बीमा किश्त राशि के साथ डाक के द्वारा बीमा कम्पनी को सीधी तौर पर बीमा प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमा कम्पनी के ऑनलाइन पोर्टल या सरकारी फसल बीमा सम्बन्धी पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। इसके लिये निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिनमें कोई त्रुटि या गलत जानकारी देने पर बीमा किश्त राशि के साथ ही दावे के अधिकार को, यदि कोई है, जब्त कर लिया जायेगा। किसी अपूर्ण प्रस्ताव को बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति के एक महीने के भीतर इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है। अस्वीकृत करने के मामले में बीमा कम्पनी को पूर्ण बीमा किश्त राशि वापस करनी होगी।

ऋणी तथा गैर ऋणी किसान दोनों को आवश्यक नियमों का पालन करते हुये फसल का नाम बदलने का

विकल्प होगा जिसकी जानकारी उन्हें सम्बन्धित चैनेल को निर्धारित समयावधि में देनी होगी।

अन्य संक्षिप्त जानकारियाँ

- योजना के समुचित प्रबन्धन की जिम्मेदारी वर्तमान राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति व इसकी उप समिति, जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की होगी।
- योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय उपागम के आधार पर किया जायेगा। मुख्य फसलों के लिये ग्राम तथा ग्राम पंचायत को बीमा इकाई माना जायेगा जबकि अन्य फसलों के लिये इकाई का आकार इससे बड़ा होगा। गैर निवार्य प्राकृतिक जोखिम के कारण हुई फसल की हानि के मामले में क्षति का आंकलन क्षेत्रीय उपागम के आधार पर किया जायेगा।
- खराब मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र में बीमित फसल की अधिकांश बुवाई/रोपाई नही होने की दशा में क्षतिपूर्ति दावे के लिये बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक मान्य होगा। तथापि, स्थानीय जोखिम; ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल प्लावन तथा कटाई के बाद जोखिम विशेष; चक्रवात, चक्रवातीय तथा गैर मौसमी वर्षा से क्षति का निर्धारण सम्बन्धित वैयत्तिक किसान के बीमित खेत के आधार पर किया जायेगा।
- क्षेत्र में फसल जोखिम के सापेक्ष सभी फसलों के लिये त्रिस्तरीय क्षतिपूरण; 70, 80 व 90 प्रतिशत उपलब्ध होगी। थ्रैशहोल्ड उपज को ही बेंचमार्क उपज का स्तर माना जायेगा जिसके आधार पर किसान को बीमा इकाई द्वारा बीमा आच्छादन दिश जा सकेगा।
- उपज की क्षति का अनुमान लगाने के लिये रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकियों का प्रयोग किया जायेगा। क्राप कटिंग परीक्षण इत्यादि के लिये तकनीकी आदि के उपयोग में होने वाले व्यय को राज्य तथा केन्द्र सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी।
- अपेक्षित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम सम्भावित होने की स्थिति में सम्भावी दावा राशि का 25 प्रतिशत राशि खाते में भुगतान कर दिया जायेगा। बीमित राशि का भुगतान बीमा प्राप्त व्यक्ति के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक तरीके से किया जायेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित उपर्युक्त कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दी गयी हैं। विस्तृत जानकारी के लिये सम्बन्धित सरकारी विभागों या बीमा कम्पनियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

विनम्र निवेदन

प्रिय पाठकगण,

आपकी सेवा में समर्पित आजीविका वार्ता के प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने हेतु हमें आपके बहुमूल्य सुझाव की प्रतीक्षा है। विश्वास है, आपका सहयोग एवं सुझाव हमें अवश्य प्राप्त होगा। आप हमसे लखनऊ स्थित हमारे "आजीविका संसाधन केन्द्र" पर कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

आजीविका संसाधन केन्द्र

बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ.प्र.)

ई-मेल : info@gds.org.in

सम्पादक मण्डल

गन्ने का अन्तःफसलीकरण- दुगुनी हो जाये आमदनी

गन्ना देश की एक प्रमुख नकदी फसल है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी खेती प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। देश के विभिन्न भागों में प्रमुखतः इसकी चार बार बुवाई की जाती है, जिसमें उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अपनायी जाने वाली शरदकालीन एवं बसन्तकालीन गन्ने की बुवाई है। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, जिसे तैयार होने में कम से कम एक वर्ष का समय लग जाता है। इस लिहाज से केवल गन्ने के सहारे रहने वाले किसानो को एक ओर जहाँ अनेक रोजमर्रा की जरूरत वाली फसलों से वंचित होना पड़ता है तो वही दूसरी ओर कई बार आपदा या कोई अन्य कारण होने से भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। एक खेत मे अनेक बार एक ही तरह की फसलों को लेने से खेत की मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता की कूवत भी कम होने लगती है, क्योंकि फसलें अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी में एक घातक रासायनिक पदार्थ छोड़ती है, जिनकी मात्रा खेत की मिट्टी में अधिक हो जाने पर भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता दोनों का ह्रास हो जाता है।

ऐसे में गन्ने के साथ अन्तःफसल लेना एक समझदारी भरा फैसला साबित होगा क्योंकि इससे जहाँ एक ओर प्राकृतिक आपदाओं की मार से दूसरी फसल से कुछ न कुछ जरूर हासिल किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर एक साथ एक ही खेत में विभिन्न फसलों को उगाने से एक फसल के हानिकारक प्रभाव, दूसरे फसलो के द्वारा शून्य हो जाते है। फलस्वरूप, मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता दोनों ही बेहतर बनी रहती है।

क्या है अन्तः फसल ?

जब दो या दो से अधिक फसलों को एक ही अनुपात में उगाया जाता है तो इसे अन्तःफसल कहते हैं या अलग अलग फसलों को एक ही खेत में, एक ही साथ कतारो में उगाना ही अन्तःफसल कहलाती हैं। गन्ने की बुवाई उपरान्त अंकुरण, स्थापना एवं वानस्पतिक वृद्धि पहले 4-5 माह तक काफी धीरे-धीरे होता है, जिसके कारण कतारों के अन्तः स्थानों में अन्तः फसल उगाने के लिए पर्याप्त सम्भावना होती है। गन्ने की 4 बार बुआई की जाती है। शरदकालीन गन्ने के साथ प्रमुखतः फली वाली मटर, मसूर, आलू, गोभी, शलजम, मूली, प्याज, धनियाँ, गेहूँ, राई एवं सरसों इत्यादि की बुवाई की जा सकती है।

मिट्टी एवं खेत की तैयारी

लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय भूमिं इसके लिये पूरी तरह से अनुपयुक्त होती है। अच्छी तरह से जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसके लिये सबसे उपयुक्त होती है। हल्की जुताई कदापि न करें क्योंकि इससे जड़ो का विकास बेहतर तरीके से नही हो पाता है। अतः उत्तर भारत में कम से कम एक गहरी जुताई के बाद दो बार हैरो से क्रास जुताई अथवा 5-6 बार देसी हल से जुताई आवश्यक है। उसके बाद खेत को समतल एवं चिकना बनाये रखने हेतु पाटा चलाया जाना चाहिये।

प्रजातियाँ

गन्ने मे लगभग दो माह तक अंकुरण अवस्था (जर्मिनेटिव फेज) होता है। उसके बाद फार्मेटिव फेज या वानस्पतिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अतः गन्ने के साथ उन्हीं फसलों एवं प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जो गन्ने के साथ कम से कम प्रतियोगिता करे, उसे फैलाव के लिए कम से कम स्थान की जरूरत पड़े, फसल की परिपक्वता 100 से 110 दिन से अधिक न हो तथा कम खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता पड़े।

अन्तःफसल के लिये उपयुक्त प्रजातियाँ

क्र.सं.	फसल	प्रजातियाँ
1	गन्ना	कोसा 8432, कोसा 92422, कोसा 92423, कोसा 95429
2	गेहूँ	सिंचित एवं समय से- HUW 510, असिंचित दशा में- K-8027 (इसे मगहर भी कहते है कंडुआ एवं झुलसा अवरोधी), HDR-77, K-9351 (मंदाकिनी), विलंब से बुवाई की दशा में- K-9423(उन्नत हलना), K-7903 (हलना)
3	मक्का	नवीन, श्वेता, शक्ति, कंचन, लक्ष्मी, प्रोटीना
4	आलू	कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी चमत्कार, कुफरी अलंकार, कुफरी शीतमान, कुफरी किसान, कुफरी अशोका
5	प्याज	नासिक 53, हिसार, पूसा रतनार, पूसा लाल
6	धनिया	साधना, सिन्धु, स्वाती
7	राई	वरूणा, वरदान, रोहिणी, वैभव, शिखर
8	तोरियां	पी.टी. 303, पी.टी.-30, टाइप-9, भवानी
9	मूली	पूसा हिमानी, पंजाब सफेद, कल्याणपुर नं. 1, पूसा चेतकी, पूसा रेशमी

बीज की मात्रा

अन्तःफसल खेती में गन्ने के बीज की मात्रा शुद्ध खेती के बराबर शत प्रतिशत होती है अर्थात् 50-60 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होगी। वहीं अन्तःफसल की बीज की मात्रा उनकी पंक्ति संख्या के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ना और आलू (दो लाइन गन्ने के बीच में एक लाइन आलू) की बुवाई करने पर गन्ने की पंक्ति संख्या तो शत प्रतिशत है परन्तु आलू के पंक्तियो की संख्या शुद्वखेती का 50 फीसदी है। अतः आलू के बीज की मात्रा शुद्ध फसल के बीज की मात्रा का 50 फीसदी होगा।

बुवाई का तरीका

अन्तः फसली खेती में फसलो की बुवाई शुद्ध खेती की तरह ही होता है। परन्तु पंक्तियों का संयोजन मुख्य फसल के दो पंक्तियों के बीच में अन्तः फसली के कुछ पंक्तियों की बुवाई करके करते है। जैसे गन्ना़ आलू- दो लाइन गन्ने के बीच में एक लाइन आलू की बुवाई (1:1) का निम्न तरीके से बुवाई करेंगेः

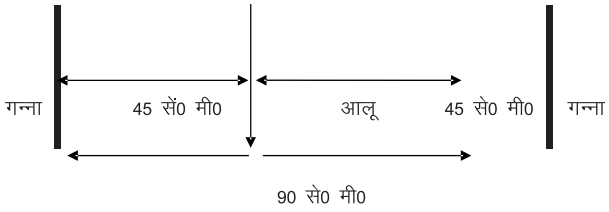

अन्तः फसल हेतु पंक्ति समायोजन

क्र.सं.	फसल	अनुपात	पंक्ति समायोजन
1	गन्ना+आलू	1:1	दो लाइन गन्ने के बीच एक लाइन आलू की बुवाई
2	गन्ना+गेंहू	1:2	दो लाइन गन्ने के बीच दो लाइन गेहूं की बुवाई
3	गन्ना+मक्का	1:1	दो लाइन गन्ने के बीच एक लाइन मक्का की बुवाई
4	गन्ना+राई	1:2	दो लाइन गन्ने के बीच दो लाइन राई की बुवाई
5	गन्ना+प्याज	1:2	दो लाइन गन्ने के बीच दो लाइन प्याज की बुवाई
6	गन्ना+धनिया	1:2	दो लाइन गन्ने के बीच दो लाइन धनिया की बुवाई
7	गन्ना+पालक	1:2	दो लाइन गन्ने के बीच दो लाइन पालक की बुवाई

खाद एवं उर्वरक

बुवाई से पूर्व 15-20 टन खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाना चाहिये। गन्ने के साथ अन्तःफसली खेती के लिए उर्वरक की मात्रा मुख्य फसल के शुद्ध खेती के बराबर देते हैं। वही अन्तः फसल में उर्वरकों की मात्रा उनके पंक्ति के अनुपात के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ना व आलू (1:1) में गन्ने की पंक्ति सख्या शुद्ध खेती के बराबर है। मगर आलू की पंक्तियाँ शुद्ध खेती का 50 फीसदी हैं। अतः उर्वरक की मात्रा शुद्ध खेती का 50 फीसदी ही देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अन्तः फसलों को मात्र नत्रजन उर्वरक ही देते हैं। शेष पोषक तत्वों का शुद्ध खेती के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त उर्वरक की मात्रा को खड़ी फसल में पंक्तियों के अनुसार डाल देनी चाहिये ।

सिंचाई

सिंचाई मुख्य फसल गन्ने को ध्यान में रख कर करते हैं किन्तु यदि अन्तः फसलों को फिर भी पानी की आवश्यकता पड़े तो अलग से लाइनों में पानी देकर पूर्ति कर देते हैं।

खरपतवार नियंत्रण

गन्ने के साथ ली गई अन्तः फसलों का कोई आवश्यक नही है कि एक ही कुल या एक ही प्रकार के जड़ या पत्तियों वाली हो। अतः सबसे बेहतर यह है कि रसायनिक दवाओ से बचते हुये अधिकतम निकाई गुड़ाई के माध्यम से नियंत्रण किया जाये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो स्थानीय विशेषज्ञों से संपर्क करके ऐसी दवायें प्रयोग करें जो अन्तः फसल अथवा मुख्य फसल गन्ना को नुकसान न पहुँचाये।

कीट एवं रोग प्रबंधन

आमतौर पर गन्ने एवं अन्तः फसल के कीट एवं रोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह से ऐसे रसायनों को प्रयोग में लायें जो कि एक दूसरे को प्रभावित न करें। या फिर इस तरीके से बचाव करके छिड़काव करें कि दूसरे फसल पर रसायन का प्रभाव न पड़ सके। बेहतर तो यही होगा कि बुवाई के समय दोनों फसलों का भूमिशोधन, बीजशोधन, अवश्य ही कर दें।

कटाई

गन्ने की फसल विभिन्न प्रजातियों के अनुसार अलग अलग समय पर लगभग एक साल में काटी जाती है। मगर ली गई अन्तः फसलें अपने परिपक्वता समय के अनुसार ही जब कटने लायक हो जाती हैं तभी काटनी चाहिये।

इस प्रकार ऊंपर दी गई जानकारियों के मुताबिक बढ़ती हुयी मंहगाई एवं जनसंख्या तथा घटती हुई खेती योग्य भूमि, घटती हुई मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता की स्थिरता को बनाये रखने हेतु गन्ने के साथ अन्तः फसल में भविष्य दिखता हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मे अवश्य ही सुधार सम्भव है।

खरीफ में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल

उत्तर प्रदेश में खरीफ मौसम में बोई जाने वाली वाली दलहनी फसलों में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसकी खेती अलग अकेले तथा अन्य फसलों के साथ भी की जाती है। विगत वर्षों में अरहर उत्पादन में आयी कमी के कारण इसके मूल्य में ज्यादा वृद्धि से यह किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफी सहायक रही है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत (लगभग 20 से 21 प्रतिशत) होने के साथ ही लोगों द्वारा दैनिक भोजन में इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। इसलिए पाच्यमूल्य संतुलन में अरहर प्रथम पायदान पर है। गहरी जड़ों एवं पत्ती मुडने के गुणों के कारण असिंचित क्षेत्रों में अरहर की खेती अधिक लाभकारी सिद्ध हुयी है। फसलोत्पादन से वायुमण्डल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने से मृदा उर्वरकता एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि का आकलन किया गया है।

जी.डी.एस. द्वारा टाटा ट्रस्ट्स, मुम्बई के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय चयनित जिलों मे संचालित 'सुजलाम् सुफलाम् पहल परियोजना' के अन्तर्गत दलहनी फसलों में यथा सम्भव सघन कृषि पद्धतियों अपनाकर अरहर की खेती को करने के लिये किसानों को प्रेरित किया गया जिससे गत 3 वर्षों में कुल लगभग 2760 एकड़ में इसकी खेती की गयी कुल इसके उत्पादन में 2-3 गुना तक वृद्धि पायी गयी। यही नही, कुछ क्षेत्रों में किसानों ने अरहर की खेती करना लगभग बन्द कर दिया था परन्तु परियोजना के प्रयासों से उन्होंने इसकी खेती फिर से करनी शुरू कर दी है। किसानों की जानकारी के लिये यहाँ अरहर की खेती की इन सघन पद्धतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है जिसे अपनाकर किसानों द्वारा इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त कर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

• खेत का चयन एवं तैयारी

अरहर की खेती के लिये अच्छे जल निकास वाली भूमि एवं उच्च उर्वरकता वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। खेत में उचित जल निकास होना अच्छा रहता है। खेत में नमी की दशा में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई के उपरान्त 1-2 जुताई हैरो/कल्टीवेटर से करके बुवाई हेतु खेत की तैयारी कर लेते हैं।

• भूमि उपचार

मृदा जनित फफूँद से होने वाली बीमारियों से बचने के लिये सड़ी गोबर की खाद के साथ एक लीटर तरल ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से अन्तिम जुताई के समय नमी रहने पर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससें लाभकारी फफूँद मिट्टी में फैलकर पौधों की जड़ो के विकास में सहायक होने के साथ-साथ उकठा, जड़ गलन जैसे रोगों से पूर्व बचाव करते हैं।

• क्षेत्र आधारित संस्तुत प्रजातियाँ

अरहर की देर से पकने वाली प्रजातियों में नरेन्द्र -1 एवं नरेन्द्र-2, बहार ,पूसा-9 एवं आजाद प्रजातियाँ प्रमुख हैं। इन प्रजातियों के विश्वसनीय श्रोतों से प्राप्त किये गये गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिये।

• बीज शोधन

बीज जनित रोगों से बचाव के लिये 2 ग्राम थीरम व 1 ग्राम कार्बोन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को शोधित कर बुवाई करना अनुमन्य है। उपरोक्त के अलावा 5 मि.ली. ट्राइकोडर्मा से प्रति कि.ग्रा. बीज को

शोधित किया जा सकता हैं। बीज शोधन के तुरन्त बाद बुवाई करनी चाहिये जिससे तेज धूप से कल्चर के जीवाणुओं के मरने की आशंका न रहे।

- **उर्वरकों का प्रयोग :**

अच्छी पैदावार के लिये अन्तिम जुताई के समय 6 से 8 कि.ग्रा. नत्रजन, 30 कि.ग्रा. डी.ए.पी. प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना अनुमन्य है। मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुति अनुसार 5 कि.ग्रा. प्रति एकड़ जिंक का प्रयोग किया जा सकता है।

- **बुवाई :**

खेत की अच्छी तैयारी के उपरान्त शोधित बीज को लाइन से लाइन की दूरी 90 से.मी. तथा पौध से पौध की दूरी 30 से 45 से.मी. रखनी चाहिये। अन्तः फसलों के लिये लाइन से लाइन की दूरी 1 मी. भी रखी जा सकती है। देर से पकने वाली उपरोक्त प्रजातियों की बुवाई 4 कि.ग्रा. प्रति एकड़ की दर से जुलाई माह में करनी चाहिये। लाइन में बुवाई करने से खरपतवार नियन्त्रण हेतु निकाई के साथ ही साथ कोपल तुड़ाई, कृषि रसायनों के उपयोग एवं यहाँ तक कि फसल कटाई में आसानी होती है।

- **खरपतवार नियंत्रण :**

जमाव के उपरान्त 20 से 25 दिन के बाद मानव श्रम द्वारा खरपतवार निकालने से पौधों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि मृदा से पौधे सीधे तौर पर पोषण प्राप्त करते हैं। खरपतवारों के नियन्त्रण हेतु शाकनाशी कृषि रसायनों का निर्धारित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है।

- **पौध विरलीकरण :**

बुवाई के 20-25 दिन बाद खरपतवार निकालने के अगले दिन पौधों को मानक के अनुसार रोपण विधि से विरल या सघन कर लेते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख प्रक्रियायें	प्रक्रिया के सापेक्ष गतिविधि	आय-व्यय आंकलन		
			संख्याध मात्रा	दर (रु.)	धनराशि (रु.)
1	खेत की तैयारी	जुताई	1	600	600
		भूमि उपचार	1	360	360
		डी.ए.पी.	30	30	900
		मृदा कीटनाशक	5	100	500
2	बुवाई	बीज	4	120	480
		बीज उपचार	10 ग्राम	2	20
		बुवाई पर व्यय	10	200	2000
3	खरपतवार नियंत्रण	निराई गुड़ाई	15	200	3000
4	पौध संरक्षण	पोषक, उर्वरकों का प्रयोग	2	200	400
		बिरलीकरण	3	200	600
		निपिंग / फुनगी तुड़ाई	5	200	1000
5	रोग नियंत्रण	कीटनाशक का प्रयोग	1	600	600
6	उत्पाद	कटाई	10	200	2000
		मड़ाई	15	200	3000
7	**योग**				**15460**
	विक्रय मूल्य 7 कु.		4500	31500	
	बचत(रु. 31500-रु. 15460)				16040
	प्रति कि.ग्रा. व्यय				22
	प्रति कि.ग्रा. आय				45

- **पौध संवर्धन :**

ताप एवं वायु दाब के कारण बाहय कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इसके लिये एक महीने की फसल हो जाने के बाद 1.5 से 2 लीटर नीम के तेल का छिड़काव पानी के साथ कर देते हैं। पुनः यह छिड़काव 45 से 60 दिन पर करने से कीटों के प्रकोप से बचाव के साथ ही पौधा स्वस्थ भी रहता है।

- **कोपल तुड़ाई :**

अरहर का पौधा प्रकाश उद्दीपन के प्रति संवेदित होता है, अतः बढ़वार अधिक लेता है। जिससे शाखा का विकास कम हो पाता है। अधिक शाखाओं के विकास के लिये फसल के 40 से 45 दिन होने पर ऊपरी कोपलों की पहली तुड़ाई तथा 60-65 दिन पर दूसरी तुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिये। इससे ज्यादा शाखायें विकसित होंगी तथा उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

- **फली छेदक के बचाव हेतु पूर्व उपाय :**

प्रायः फली बनते समय फली छेदक का प्रकोप होता है, जिसके बचाव के लिये इमीडाक्लोरोपिड 3 प्रतिशत घोल की दर से छिड़काव करते हैं।

- **कटाई मड़ाई :**

फसल पक जाने की अवस्था का आकलन करके समय से ही कटाई कर लेनी चाहिये जिससे फलियाँ चटकने से बच जाती हैं। कटाई के बाद अच्छी तरह धूप मे पौधों को सुखा लेने के उपरान्त मड़ाई कर लेनी चाहिये। इस प्रकार प्राप्त उपज को उचित तरीके से भण्डारण/विपणन किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सघन कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान अरहर की खेती करके अपनी लागत से दुगुनी आय अर्जित कर सकते हैं। इन सघन पद्धतियों के बारे में विस्तृत जानकारी जिला कृषि विभाग, कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों तथा अन्य सम्बन्धित स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है।

श्रावस्ती के पसियनपुरवा गाँव में प्याज की खेती

ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज संस्था ने टाटा ट्रस्ट्स, मुम्बई की सहायता से संचालित सुजलाम् सुफलाम् पहल परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित सिरसिया विकास खण्ड के चयनित गाँवों में कृषि हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आमदनी में बढोत्तरी हेतु उच्च मूल्य वाली फसलों के अन्तर्गत उन्हें प्याज की खेती करने हेतु अभिप्रेरित किया है। भौगोलिक संरचना, वातावरणीय अनुकूलता तथा बाजार की सुविधा के आधार पर प्याज की फसल को किसानों ने अपनाकर अपनी कृषि आय बढ़ाने का जरिया बनाया है। प्याज के उत्पादन की बढोत्तरी में प्रयोग किये जाने वाले प्रमुख आदानों विशेषरूप से गुणवत्ता परक बीज, आवश्यक शस्य क्रियाओं तथा फसल रोगों के बचाव हेतु पूर्व में ही उपचार कर लेने से क्षेत्र में संस्था के प्रवेश से आज की स्थिति के आकलन करने पर किसानों ने औसतन **20 गुना** तक प्रक्षेत्र विकास किया है। परियोजना के पूर्व प्याज करने वाले किसान मात्र अपने उपयोग के लिये 0.01 से 0.02 एकड तक के क्षेत्रफल में ही प्याज लगाते थे जबकि वर्तमान में यह औसत 0.23 एकड़ प्रति किसान तक विस्तारित हुआ है। क्षेत्र के किसानों में प्याज की खेती के प्रति बढते हुये रूझान को देखकर टाटा ट्रस्ट्स राज्य प्रबन्धन इकाई उ.प्र. एवं जी.डी.एस. के प्रयासों से सरकारी उद्यान विभाग द्वारा भी किसानों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया गया है।

संस्था द्वारा प्याज फसल उत्पादन वृद्धि हेतु अपनायी जाने वाली प्रमुख कृषि तकनीकों व प्रक्रियाओं के बारे में किसानों को उनके क्षमता वर्धन हेतु समय समय पर विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षणों एवं शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया गयां। क्षेत्र की वातावरणीय अनुकूलता के अनुसार प्याज की फसल हेतु किसानों को नर्सरी बचा पाने में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, इसलिये संस्था ने इस संभाग के लिये संस्तुत प्याज की एन.एच.आर.डी.एफ. संस्था द्वारा प्रदत्त **एग्रीफाउण्ड लाइट रेड** प्रजाति के बीज की पंक्ति में उठी हुई बेड पर बुवायी करने की तकनीकि को अपनाकर किसानों द्वारा नर्सरी तैयार करवायी। नर्सरी की यह पद्धति किसानों के लिये बरदान साबित हुयी है। किसान अपने खेतों मे रोपायी करने के बाद बची हुई प्याज की पौध को भी आस पास के क्षेत्रों में अन्य किसानों को बेंच देते हैं। नर्सरी विक्रय से फसल उत्पादन से पूर्व ही आमदनी के साथ ही प्याज की खेती का प्रसार भी हो जाता है। यदि किसानों द्वारा आस पास के अन्य क्षेत्रों में बेंची गयी प्याज की पौध से आच्छादित क्षेत्रफल को भी सम्मलित किया जाय तो प्याज का क्षेत्रफल और अधिक हो जायेगा।

पसियनपुरवा गांव सिरसिया विकासखण्ड के मसहाकलॉ ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गांव है। गांव में लगभग सभी छोटी जोत वाले किसान है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण किसान अपने कम जमीन में

भी दलहनी, तिलहनी फसलें लेते थे। वे प्याज की बहुत ही कम खेती, वह भी केवल अपने घरेलू उपभोग के लिये, करते थे। संस्था द्वारा प्याज कीं फसल के उत्पादन पर कराये गये प्रयोगात्मक परीक्षणों, प्रदर्शनो के उपरान्त किसानों ने सिंचाई के लिये निजी बोरिंग कराने का प्रयास किया। किन्तु जल-तल स्तर के अधिक नीचे होने के कारण बोरिंग से मात्र 1-1.5 इंच ही पानी मिल पाता है। इस गांव में विद्युत की सुविधा न होने से किसान डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं, जिससे खर्च अधिक आने पर केवल प्याज की फसल की ही सिचाई कर पाते हैं क्योंकि इससे उनको अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक आमदनी मिलती है। नीचे दी गयी तालिका में परियोजना पूर्व एवं परियोजना अवधि में प्याज की खेती के क्षेत्र आच्छादन, उपज व आय को तुलनात्मक ढंग से दर्शाया गया है;

प्याज उत्पादन की परियोजना पूर्व की स्थिति				
किसान की सं0	प्रति किसान औसत क्षे0फ0 (एकड में)	कुल आच्छादित क्षे0फ0 (एकड़ में)	प्रति एकड औसत पैदावार (कुन्तल में)	आमदनी प्रति एकड (रु0)
23	0.02	0.46	40 से 45	22000

परियोजना प्रयास की स्थिति				
किसान की सं0	प्रति किसान औसत क्षे0फ0 (एकड़ में)	कुल आच्छादित क्षे0फ0 (एकड़ में)	प्रति एकड औसत पैदावार (कुन्तल में)	आमदनी प्रति एकड (रु0)
46	0.2	9.2	72	37000

अभी भी सिंचाई के साधनों की कमी के कारण लागत पर खर्च अधिक हो रहा है, जबकि औसत पैदावार भी कम हो पायी है जिसे और अधिक बढ़ाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने पर किसानों को कम दाम पर ही प्याज को बेच देना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का उचित पूरा लाभ नही मिल पाता।

इस प्रकार इस गाँव के किसान उच्च मूल्य वाली फसल के रूप में प्याज की फसल को वरीयता देने लगे हैं। प्याज के भण्डारण की समस्या को ध्यान में रखते हुये इसके स्थानीय समाधान के लिये किसानों के लिये गॉव में इसी वर्ष सामूहिक प्याज भण्डारण संरचनाओ के निर्माण का प्रयोगात्मक प्रदर्शन कराया गया है। इस भण्डारण विधि का उपयोग करते हुये किसान अपने उत्पाद को अधिक समय तक भण्डारित करके बाजार में सही मूल्य पाने पर प्याज को बेंच पायेंगे। जिससे उनकी आमदनी में तुरन्त बेंच देने की अपेक्षा अनुमानतः 50 प्रतिशत तक की अधिक बढोत्तरी हो सकेगी साथ ही स्थानीय बाजारों में किसानों एव बाहरी बाजारों/मण्डियों में गांवों की पहचान स्थापित हो सकेगी। प्याज भण्डारण की बड़ी धारण क्षमता वाली संरचनाओ की स्थापना हेतु जिला स्तर पर सरकारी विभागों; उद्यान एवं कृषि विभागों से भी संपर्क किया जा रहा है। आशा है, निकट भविष्य में किसानों की लगन, प्याज के बीज की निःशुल्क आपूर्ति व बड़ी क्षमता वाली भण्डारण संरचनाओं जैसे सरकारी सहयोग तथा निरन्तर कृषि तकनीकी सहयोग से न केवल प्याज उत्पादक किसानों की संख्या व क्षेत्रफल में बल्कि इससे उनकी कृषि आय में भी बहुत इजाफा होगा।

आजीविका के लिये पशुपालन एक सामुदायिक प्रयास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ वाले तराई क्षेत्र में पशुपालन तथा खेती आधारित आजीविका समस्याग्रस्त होती है क्योंकि पशुओं में बाढ़ के कारण फैलने वाली बीमारी से पशुओं की मृत्यु का खतरा बना रहता है, इस वजह से भी लोग अच्छी नश्ल के पशु कम पालते हैं। पशुपालन के स्तर को सुधारने के लिए ग्रामीण डेवेलपमेण्ट सर्विसेज संस्था द्वारा महराजगंज जनपद के फरेन्दा, धानी एवं बृजमनगंज विकास खण्डों के चयनित गाँवो में स्थानीय लोगों के ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समूह गठित किये गये हैं। प्रत्येक समूह में 11-20 सदस्य होते हैं। समूह के सभी सदस्यों की आपदा सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग भूमिका होती है। इसी क्रम में पशुधन विकास के मुद्दे पर प्रत्येक समूह के एक नामित सदस्य को गाँव के सभी पशुओं की सूची बनाकर जी.डी.एस. कार्यालय को प्रेषित करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। समूह सदस्य से प्राप्त पशुओं की इस सूची को जी0डी0एस0 कर्मियों द्वारा आवश्यक सेवायें विशेषरूप से पशु टीकाकरण के लिये सम्बन्धित सरकारी पशु चिकित्सालय भेजा जाता था। लेकिन पशु चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी के कारण पशुओं का टीकाकरण हो नही पाता था। परिणामस्वरूप समस्या अनसुलझी रह जाती थी। इसे सुलझाने के लिए पशुधन विकास विभाग के कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि समुदाय के लिए जो व्यक्ति ने सूची बनाने की जिम्मेदारी ली है तथा इस स्वैच्छिक कार्य में रूचि ले रहा/रही है उसे ही पशु टीकाकरण का प्रशिक्षण देकर पशु टीकाकरण का कार्य आसानी से तथा समय से पूरा किया जा सकता है।

इस क्रम में 15 पशुमित्रों का चयन करके पशु चिकित्साधिकारियों के सहयोग से टीकाकरण का तकनीकी प्रशिक्षिण करवाया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त पशु चिकित्सालय से वैक्सीन प्राप्त करके नियमित टीकाकरण का कार्य बाढ़ के पूर्व तथा उपरांत प्रारम्भ हो गया। टीकाकरण करते समय क्षेत्र से पशुपालकों ने यह जानकारी चाही कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि यह पता चल सके कि पशु पालक का दुधारू पशु गर्भित है या नही है। उनकी यह भी समस्या उभर कर आयी कि गॉव में अच्छे नश्ल के साड़/भैंसा नही हैं जिससे कि ज्यादा दूध देने वाली अच्छी नश्ल की पड़िया/बछिया मिल सके। क्षेत्र की इन्ही अनुभूत आवश्यकताओं के मद्देनजर जी.डी.एस. द्वारा नोविब के वित्तीय सहयोग से 15 पैरावेटों को तीन माह का कृत्रिम गर्भाधान कौशल प्रशिक्षण बायफ संस्थान से दिलवाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त इन सभी पैरावेटों को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण प्रदान किये गये।

सामूहिक पहल

इस प्रकार बाढ़ क्षेत्र में पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियां के माध्यम से पशुपालन की सेवायें जारी रहीं तथा इनका आस-पास के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ। जनोपयोगी इस प्रयास के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुये सभी सामुदायिक पैरावेटों तथा अधिक जागरूक पशुपालकों के साथ विचार विमर्श एवं उनकी सामूहिक पहल के फलस्वरूप वर्ष 2009 में **ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट** नामक एक सामुदायिक संगठन का श्रीगणेश किया गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामजनम यादव, सचिव श्रीमती सची श्रीवास्तव तथा कोषाध्यक्ष श्रीराम को चुना गया। ट्रस्ट का स्थानीय बैंक शाखा में खाता खुलवाया गया तथा खाता संचालन हेतु इन पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया।

ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट के माध्यम से पशुपालन सम्बन्धी सेंवायें समय-समय नियमित रूप से प्रदान की जा रही हैं। इन्ही सुलभ सेवाओं के कारण संगठन का कार्यक्षेत्र निरन्तर विस्तारित होता जा रहा है। लोगों को आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर ही समय से पैरावेट की सेवायें उपलब्ध हैं। सामुदायिक संस्थागत पहल होने के कारण पशुपालक स्वयं को इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट के वर्तमान आच्छादन क्षेत्र की जानकारी तालिका में दी जा रही है;

क्र0 सं0	जिला	ब्लाक	आच्छादित गॉवों की सं0
1	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	35
2	महराजगंज	फरेन्दा, धानी तथा बृजमनगंज	80
3	सिद्धार्थनगर	खेसरहा, उस्का तथा जोगिया	20
कुल	**3**	**7**	**135**

उपलब्ध पशु सेवायें

ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट द्वारा आच्छादित क्षेत्र में निम्नलिखित सेवायें निरंतर पहुँचाई जा रही हैं;

- बाढ़ पूर्व एवं बाढ़ के उपरांत गलाघोटू तथा खुरपका-मुहपका के रोकथाम हेतु पशुओं का टीकाकरण।
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भाधान की जाँच करना।
- सींघ रोधन तथा बधियाकरण।

- प्राथमिक उपचार।

ट्रस्ट का अन्य के साथ सहलग्नता

- तहसील/ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सालय से सम्पर्क (बाढ़ पूर्व तथा बाढ़ के उपरांत वैक्सीन उपलब्धता हेतु)।
- एनीमल ब्रीडिंग सेन्टर, सलोन, रायबरेली (उचित गुणवत्ता के सीमेन हेतु)।
- LN2 विक्रेता (सीमेन को सुरक्षित रखने हेतु)

ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट का पशु कृत्रिम गर्भाधान का उदाहरण

ग्रामीण पशुधन विकास ट्रस्ट द्वारा एक वॉं यानि 2017-2018 में कुल 8155 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। इस गतिविधि की प्रमुख उपलब्धियाँ उदाहरणस्वरूप इस तालिका में दर्शायी गयी हैं।

क0 सं0	पशु नस्ल का नाम	प्रजाति		उत्पन्न बच्चे	
		गाय	भैंस	गाय	भैंस
1	मुर्रा (भैंस)		4200		2100
2	हालस्टिन फ्रिजियन (गाय)	2300		1265	
4	सहिवाल (गाय)	725		435	
5	सहिवाल फ्रिजियन क्रास ब्रीड (गाय)	830		498	
6	इमपोरटेड	100			
कुल योग-		**3955**	**4200**	**2198**	**2100**

सोना देवी की आय बढ़ी.....

सोना देवी महराजगंज जिले के पचरूखी गॉव की रहने वाली है। इनके पास कुल 2 बीघा खेत है वह भी तालाब के किनारे। प्रति वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण इस खेत में धान की फसल नही हो पाती है। रबी में केवल गेहूँ की फसल हो पाती है। परिवार का भरण-पोषण करने के लिये सोना का पति मुम्बई शहर में मजदूरी का काम करते है। जैसे-तैसे जीवनयापन होता है। 2 साल पहले इस परिवार के पास एक देशी गाय थी, जो प्रतिदिन 2 ली0 दूध देती थी। एक दिन इनके गॉव में ग्रामीण डेवलपमेण्ट सर्विसेज (जी.डी.एस.) द्वारा पशुपालन पर गॉव स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। उन्हें बताया गया कि कम दूध देने वाले जानवर से कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन वाला अच्छी नश्ल का दुधारू पशु प्राप्त किया जा सकता है। इस गोष्ठी में बतायी गयी बातों से सोना काफी प्रभावित हुईं। उन्होंने अपनी देशी गाय के कृत्रिम गर्भाधान का निर्णय लिया तथा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित स्थानीय पैरावेट श्री राजेश कुमार की मदद से कृत्रिम विधि द्वारा गाय को गर्भित कराया। इस गर्भित गाय से 9 माह 9 दिन की अवधि व्यतीत होने पर होलस्टीन फ्रिजियन नश्ल की बछिया पैदा हुई जिसका रंग काला तथा सफेद था। अच्छी नश्ल की बछिया पाकर सोना देवी का परिवार बहुत खुश हुआ। क्योंकि उन्हें पता था यह बछिया बड़ी होकर हमारे परिवार की आजीविका को मजबूत करने में सहायक होगी।

धीरे-धीरे समय बीतता गया और सोना देवी ने बछिया की अच्छी देखभाल की। यह बछिया अब बड़ी होकर गर्भधारण क्षमता की अवस्था में आ गयी तथा गर्भित हुई। 9 माह 9 दिन की अवधि के इन्तजार के बाद बछिया माँ बनी तथा उसने अपनी ही जैसी काली-सफेद रंग की बछिया को जन्म दिया। पैदा हुई इस बछिया को देखकर सोना देवी की खुशी दुगुनी हो गयी क्योंकि उसके यहाँ दो लक्ष्मी आ चुकी थी। एक ओर जहाँ उनके परिवार को अच्छी नश्ल की एक और बछिया मिल गयी वहीं दूसरी ओर अधिक दूध उत्पादन से आमदनी भी बढ़ गयी। उनकी सीख रंग लाई। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा उनके घर में पहली माँ बनी गाय ने 8 ली0 दूध देना शुरू कर दिया। अपने कन्धों पर घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह छोटा प्रयास बहुत कारगर साबित हुआ। सोना देवी अब 8 ली0 दूध में से 5 ली0 दूध बेच देती हैं, जिसका उन्हें 25 रू0 प्रति लीटर की दर से 125 रू0 प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है साथ ही घर में बच्चों तथा स्वयं को पीने के लिए पर्याप्त शुद्ध दूध मिल जाता है। अपनी खुशी जाहिर करते हुये सोना देवी जी.डी.एस. संस्था के साथ ही पैरावेट श्री राजेश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करती हैं जिनके माध्यम से प्राप्त जानकारी व सेवाओं की सहायता से उन्हें यह सफलता मिली।

स्वच्छता हेतु संवेदीकरण- एक अनुभव

भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी अपनी पहल के अन्तर्गत लागू किये गये स्वच्छ भारत मिशन से हम सभी भलीभाँति परिचित हैं। व्यापक स्तर पर चलाये जा रहे इस महा अभियान का एक उद्देश्य लोगों द्वारा खुले में शौच करने को रोकना है जिसके लिये प्रत्येक चयनित परिवार को शौचालय निर्माण के लिये वित्तीय सहायता का प्राविधान किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत अभी तक लगभग 7.53 करोड़ ग्रामीण परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण कराया जा चुका है तथा लगभग 3.87 लाख गाँवो को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि तभी उद्देश्यपरक सिद्ध होगी जब ये परिवार अपने शौचालय का उपयोग करना शुरू कर दें। इसके लिये यह आवश्यक है कि शौचालय के उपयोग के प्रति एक सामाजिक सोच विकसित हो तथा समुदाय व परिवार के लोगों में इसके प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन हो क्योंकि शौचालय निर्माण के बाद भी उसके उपयोग न करने के अनेक उदाहरण पहले से हमारे बीच में मौजूद हैं जिसके लिये मानसिकता के साथ-साथ निर्माण सहित अन्य तकनीकी कमियाँ जिम्मेदार रही हैं। अतः शौचालय निर्माण के साथ ही इसके उपयोग के प्रति लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है।

इसी क्रम में जी.डी.एस. ने टाटा कॉरनेल इन्स्टीट्यूट के तहत प्रदत्त वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से जनपद महराजगंज के फरेन्दा एवं धानी विकास खण्डों के कुल 15 चयनित ग्रामों में बाल स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी उपायों सहित शौचालय के उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके लिये उपरोक्त गाँवों को 3 श्रेणियों में बॉटा गया। प्रथम श्रेणी में 5 गाँव ऐसे थे शौचालय निर्माण के साथ व्यवहार परिवर्तन हेतु समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता उपागम अपनाया गया, दूसरी श्रेणी में 5 अन्य ऐसे गॉव थे जहाँ शौचालय निर्माण तो हुआ परन्तु व्यवहार परिवर्तन की कोई गतिविधि संचालित नही की गयी एवं तीसरी श्रेणी 5 ऐसे गाँव थे जहाँ शौचालय निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रयास नही किया गया।

समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता उपागम (CLTS Approach)

इस लक्ष्य भेदी साधन के अन्तर्गत सबसे पहले समुदाय को खुले में शौच करने से होने वाली हानियों के बारे में उनकी ही बस्ती में अत्यन्त व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से संवेदित किया जाता है। गाँव के लोगों को उचित स्थान पर एकत्रित करके उन्हें वीडियो, माड्यूल्स आदि से जानकारी देने के बाद शौच मैंपिग के लिये गाँव के उस खुले स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ लोगों ने मलत्याग किया हो। फिर उपस्थित जनसमूह के सामने सुविधाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के शिर के एक बाल को तोड़कर को इस उत्सर्जित मलावशेष में लपेटकर पीने योग्य एक गिलास पानी में डाल दिया जाता है जिससे इसके बाद वहाँ मौजूद कोई व्यक्ति गिलास के इस दूषित जल को पीने को बिल्कुल ही तैयार नहीं होता। बस यहीं से गाँव के लोगों को खुले में शौच करने से होने वाली हानियों के प्रति संवेदित करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिसमें उन्हें किस प्रकार मक्खियों इत्यादि के द्वारा उनका उत्सर्जित मल पुनः उन तक पहुँच जाता है जिससे स्वास्थ्य की गम्भीर समस्यायें पैदा होती हैं।

यही नही खुले में शौच के कारण लोगों विशेषरूप से महिलाओं को अन्य सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संवेदित करते समय व्यक्ति, परिवार तथा पूरे गाँव द्वारा एक दिन, एक महीने एवं एक वर्ष में खुले में उनके द्वारा त्याग किये गये मल की मात्रा की संगणना के माध्यम से संवेदित करने का प्रयास किया जाता है। उपरोक्त स्वच्छता हेतु व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु की जाने गतिविधि के अन्तर्गत परियोजना द्वारा कुल 75 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

नियमित तथा प्रभावी अनुश्रवण

ऐसा पाया गया है कि इस प्रदर्शन के दौरान तथा तुरन्त बाद में अधिकांश लोग खुले में शौच नही करने के लिये अभिप्रेरित हो गये तथा उन्होंने कच्चे शौचालय का निर्माण तो अपने संसाधनों के द्वारा ही तुरन्त करा लिया। इस प्रकार इन 5 गाँवों में लोगों द्वारा कुल 288 कच्चे शौचालय बनाये गये। परियोजनान्तर्गत 10 गाँवो में दो गड्ढे वाले कुल 543 पक्के शौचालय का निर्माण किया गया। इसके लिये 16 राजगीरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इससे इन राजगीरों को तकनीकी दक्षता प्राप्त हुई तथा आजीविका के लिये स्थानीय स्तर पर इनके लिये रोजगार भी सृजित हुआ। शौचालय निर्माण के कुल लागत का 25 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक लाभार्थी परिवार ने श्रम इत्यादि के रूप में दिया। इसके बाद रोजाना टीम के सदस्यों द्वारा शौचालय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये रोजाना एक महीने तक सुबह एवं शाम अनुश्रवण किया गया तथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा शौचालय का उपयोग न करके खुले में शौच करते पाये जाने पर मल को मिट्टी से ढक दिया गया तथा उसे सामाजिक तौर पर लज्जित करने के लिये घर के दरवाजे पर इस आशय का पोस्टर चिपका दिया गया।

इस प्रकार यह पाया गया कि प्रथम श्रेणी के गाँवों में जहाँ केवल शौचालय के निर्माण ही नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ चलायी गयी, वहाँ यह मिशन वास्तविक रूप से शत प्रतिशत सफल रहा। अभी तक इन 5 गाँवों में से 3 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। जबकि दूसरी श्रेणी के गाँवों में शौचालय निर्माण के लिये ही सभी परिवार राजी नही थे तथा केवल 80 प्रतिशत परिवारों ने ही शौचालय निर्माण हेतु अपनी सहमति दी। तीसरी श्रेणी के 5 गाँवों में परियोजना द्वारा कोई गतिविधि संचालित नहीं की गयी। यहाँ से मात्र आंकड़े ही एकत्रित किये गये।

इस पूरे अनुभव का निश्कर्ष यही है कि स्वच्छता विशेषतया शौचालय निर्माण तथा उसके उपयोग के प्रति व्यष्टि एवं समष्टि आधारित संवेदीकरण आवश्यक है। इसके लिये जी0डी0एस0 द्वारा प्रयुक्त समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता उपागम बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है, जिसका इस मुहिम में प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु इस प्रसार विधि का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुविधाकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिये जिससे समुदाय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े तथा किसी भी संभावित नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचा जा सके।

जी.डी.एस. कार्यालय

मुख्यालय :
बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226024. दूरभाष: 0522-4075891
ई-मेल: ho@gds.org.in वेबसाइट: www.gdsindia.ngo
सम्पर्क व्यक्ति : **श्री सुशील कुमार द्विवेदी** (सचिव)

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश

सन्त कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
निकट नेदुला चौराहा, बनजरिया
खलीलाबाद पश्चिम, सन्त कबीर नगर, उ०प्र०-272 175
ई-मेल : khalilabad@gds.org.in

महराजगंज, उत्तर प्रदेश
मकान नं.-2, वार्ड नं.-3, सोनौली रोड,
आनन्द नगर, फरेन्दा, महराजगंज-273 155
ई-मेल : maharajganj@gds.org.in

ललितपुर, उत्तर प्रदेश
द्वारा श्री राणा रवीन्द्र प्रताप सिंह
318 सिविल लाइन्स जिला परिषद के पीछे, ललितपुर-288403
ई-मेल : lalitpur@gds.org.in

श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
द्वारा मोहम्मद जाकिर, कोट रियासत, निकट श्रावस्ती पब्लिक इण्टर कालेज, भिनगा, श्रावस्ती-271 831
ई-मेल : shravasti@gds.org.in

बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
बीर विनायक चौक, मोती सागर मोहल्ला,
पथिक होटल के सामने, बलरामपुर-271 201
ई-मेल : balrampur@gds.org.in

बिहार

सीतामढ़ी, बिहार,
द्वारा मोहन आटो सर्विसेज
आइ.बी.पी. पेट्रोल पम्प, रूनी सैदपुर,
सीतामढ़ी-843 328, बिहार
ई-मेल : sitamarhi@gds.org.in

वाल्मिकीनगर, बिहार
द्वारा श्री अनिल सिंह बिसहा (भू0पू0 मुखिया)
वाल्मिकीनगर, ब्लाक : बगहा-2
जिला : बेतिया, पश्चिमी चम्पारण-845 107
ई-मेल : arshad.umar@gds.org.in

मुजफ्फरपुर, बिहार
द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह,
बिहार निकेतन, लॉ कालेज से दक्षिण-पूर्व, गन्नीपुर
मुजफ्फरपुर-842 002
ई-मेल : muzaffarpur@gds.org.in

राजस्थान

जवाजा, राजस्थान
बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जवाजा के निकट,
जिला अजमेर-305 922
ई-मेल : ajmer@gds.org.in

'आजीविका वार्ता' का प्रस्तुत अंक ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज के वेबसाइट www.gdsindia.ngo पर भी उपलब्ध है।

बुक पोस्ट

सेवा में, ______________________

____

____

आजीविका संसाधन केन्द्र
ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज
बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226 024 (उ.प्र.)
फोन : 0522-4075891, 2330640
ई-मेल : ho@gds.org.in ; rc@gds.org.in
वेबसाइट : www.gdsindia.ngo